#Shahjahanpurpol

प्रेस नोट –दिनांक 05/06/2022

<u>*थाना जलालाबाद पुलिस का सराहनीय कार्य,*</u>

वाहन चोर / बकरा चोर गैग का खुलासा, 02 अदद चोरी की मोटरसाईकिले एव मो0सा0 के कटे हुये पुर्जे बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन मे थानाध्यक्ष जलालाबाद श्री जयशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व मे जलालाबाद पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही।

दिनाक 04/04/2022 को मुकदमा वादी श्री श्यामसिंह पुत्र पुत्तू सिंह नि0ग्राम कलियान नगला थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर के द्वारा लिखित तहरीर दाखिल कर अवगत कराया कि मो0सा0 न0 UP 25 CA 6087 SPLENDER PLUS बडी दरगाह के पास से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी है। जिसके सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 410/22 धारा 379 IPC बनाम अज्ञात पजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये मो0सा0 की तलाश शुरु की गयी।

इसी क्रम मे दिनाक 04/05/22 को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्तगण 1- नौशाद पुत्र रियासत नि0 बाबूनगर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर 2- रिजवान पुत्र पप्पू नि0मो0 बाबूनगर कस्बा व थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर 3-रामू पुत्र भवंरपाल नि0 ग्राम नौसारा थाना मिर्जापुर शाहजहाँपुर (मिस्त्री) को गिरफ्तार किया गया तथा बाल अपचारी को संरक्षण मे लिया गया एवं सलमान पुत्र इकबाल नि0मो0 निजामनगर कस्बा व थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर मौके से पहले ही फरार हो गया था। जिनके कब्जे से दो अदद मो0सा0 न0 क्रमश UP 27 Q 7344 बजाज डिस्कवर व मो0सा0 न0 UP 25 CA 6087 HONDA SPLENDER को काटते समय बरामद हुयी बरामदगी के सम्बन्ध मे पुछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह चोरी करके ही अपना गुजारा करते है। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण से गहन पुछताछ की गयी तो ज्ञात हुया कि अभियुक्तगण का अन्तर्जनपदीय बकरा / वाहन चोरी का गिरोह है। शुरु मे यह लोग बकरा चोरी के लिये मो0सा0 चुराते थे तािक बकरा / बकरी को लेकर मो0सा से भागे और मो0सा0 से इनकी पहचान न हो सके मो0सा0 चोरी के करने के बाद मो0सा0 की नम्बर प्लेट को भी खरोच देते थे। इस तरीके से इनके कब्जे से 02 अदद मो0सा0 चोरी की बरामद हुयी है इसने एक मो0सा0 बडी दरगाह कस्बा जलालाबाद से 3-4 दिन पहले चोरी की गयी थी। और उक्त मो0सा0 को 5000 रुपये जरियनपुर मे मिस्त्री को बेच दिया था।

जिसमें मोटर साईकिल के अलग..2 पार्टस को क्रमशः 01 अदद खुरची व बदली नम्बर UP 27 AT 4110 की नम्बर प्लेट, 02 अदद रिम, 02 अदद टायर, 01 अदद पैट्रोल टंकी, 01 अदद इंजन नम्बर छितग्रस्त, सीट, चैचिस पार्ट (चैचिस नम्बर छितग्रस्त), साइलेंसर, लैग गार्ड, हैंडिल, पायदान, चेन व अन्य छोटे मोटे पार्ट बरामद हुए हैं । इसके अतिरिक्त इनके काठ क्षेत्र से एक अदद मो0सा0 चोरी की गयी थी । जिसकी नम्बर प्लेट खुरच दी गयी है उसके सम्बन्ध में इन्जन नम्बर व चैसिस नम्बर के आधार पर जानकारी की जा रही है । उल्लेखनीय है कि यह लोग मुख्यत चोरी की मो0सा0 को साथ लेकर सुनशान जगहों पर बकरे चुराकर मोर्कट में 2000-3000 रुपये में बेच देते हैं । इस गिरोह का सरगना बालअपचारी है । जोिक बाईक तेज रफ्तार में चलाने में माहिर है । यही गैंग सचालित , टार्गट चिन्हित, चोरी एव माल बिकवाता है । यह खुद आधी रकम को अपने पास रख लेता है तथा आधी रकम में से सबको बाटता है । इसके द्वारा जनपद शाहजहापुर एव अन्य जनपदों में करीब 02 दर्जन से अधिक बकरा / बकरी चोरी करने की बात स्वीकार की गयी है । जिसके सम्बन्ध में जानकारी जुटाई जा रही है । बकरी यह लोग इसिलये चुराते थे तािक उसको मार्कट में बेच देते थे । और बकरी कट जाने के बाद उसकी कोई शिनाख्त नहीं रहती थी । इसिलये यह कृत्य इनको सबसे साफ टार्गट लगता था । उल्लेखनीय है कि यह लोग अत्यधिक जुआरी/शराबी प्रवृत्ति के हैं। पुरे दिन घुमफिर कर जुआ खेलना शाम को नशा करना ही इनका मुख्य पेशा है।

<u>*बरामदगी—</u>*

क्रस वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर कम्पनी विवरण अन्य विवरण

- 1 UP 27 <mark>Q 7344 बजाज डिस्कवर</mark>
- 2 UP 27 CA 6087 हीरो होण्डा स्पलेन्डर प्लस

पंजीकृत अभियोग

- 1-मु0<mark>अ</mark>0सं0 410/22 धारा 379 IPC
- 2. मु0अ0सं0 411/22 धारा 41/411 IPC बनाम 1- बाल अपचारी 2- रिजवान 3- नौशाद 4-सलमान

पुलिस बल का विवरण

- 1. श्री जयशंकर सिहं थानाध्यक्ष
- 2. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार
- 3. है0का0 273 सुमित कुमार
- 4. का० १९६३ लोकेन्द्र

- 5. का० ३३३ रणवीर सिह
- 6. का० 1741 विपिन पुनिया
- 7. का० ४०९ अशोक कुमार

